कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/34/2022

श्री रामप्रकाश पुत्र चरनसिह जाति ठाकुर निवासी पी.एन.बी. बैंक के सामने धौलपुर रोड रुपवास जिला भरतपुर

.........अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार (उप पंजीयक) तहसील रुपवास

............रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 21.06.2022**

अपीलार्थी श्री रामप्रकाश पुत्र चरनसिह जाति ठाकुर निवासी पी.एन. बी. बैंक के सामने धौलपुर रोड रुपवास जिला भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार (उप पंजीयक) तहसील रुपवास के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 17.03.2022 से लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार (उप पंजीयक) तहसील रुपवास से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार (उप पंजीयक) तहसील रुपवास द्वारा प्रार्थी / अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/22/292 दिनांक 16.05.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार (उप पंजीयक) तहसील रुपवास से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार (उप पंजीयक) तहसील रुपवास का जबाब पत्र कमांक/पंजी./42 दिनांक 31.5.2022 से प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का सूचना का अधिकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तारीखी 17.3.2022 का अवलोकन से जाहिर आया कि अपीलान्ट द्वारा दस्तावेज (पंजीयन) की

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

नकलें चाही गई हैं। तहसीलदार उपपंजीयक रुपवास से प्राप्त जबाब पत्रक्रमांक/पंजी./42 दिनांक 31.5.2022 में अंकित किया है कि आवेदक को पूर्व में जरिये पत्र क्रमांक पंजी/22/29 दिनांक 4.4.2022 से सूचना उपलब्ध करा दी गई है। तहसीलदार उपपजींयक द्वारा आवेदक को प्रेषित पत्र दिनांक 4.4.22 की फोटो प्रति का अवलोकन किया गया, जिस में प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र दिनांक 12.10.2018 का हवाला देते हुये, चाही गई सूचना के लिये निर्धारित शुल्क जमा कराकर सूचना प्राप्त करने को लिखा गया है। जब कि अपीलार्थी का अपील में कथन है कि आर.टी. आई. एक्ट में अतिरिक्त शुल्क का प्रावधान लागू नहीं होता हैं, उसे आर.टी. आई. एक्ट के तहत सूचना उपलब्ध कराई जावे।

अपीलान्ट द्वारा दस्तावेज (पंजीयन) की नकलें चाही जारही हैं। ऐसे दस्तावेजों (पंजयीन) की नकलें जारी करने के लिये पृथक से शुल्क निर्धारित किया हुआ है। ऐसे दस्तावेजों की परिपत्र के अनुसार नकल फीस जमा कराने पर ही नकल दी जासकती हैं। नकलों का नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा कराने के लिये अपीलान्ट प्रार्थीया को तहसीलदार/उपपंजीयक रुपवास द्वारा अपीलान्ट को पत्र दिनांक 4-4-22 को लिखा गया है। इस सम्बन्ध में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 स्पष्ट है।

अस्तु अपीलान्ट/प्रार्थी (पंजीयन सम्बन्धी) दस्तावेजों की नकलों के लिये तहसीलदार/उपपंजीयक रुपवास द्वारा आपको लिखे गये पत्र में राज्य सरकार के पत्र दिनांक 12.10.18 के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार नकल शुल्क जमा करा कर नकल/सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार(उप पंजीयक) रुपवास को सूचनार्थ प्रेषित हो। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट न होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर, भरतपुर